फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना अमृतपुर

दिनांक :- 08.07.2024

मु0अ0सं0 469/2017 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंग लीडर "फिरोज उर्फ अन्ना" व उसके गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी स्वयं व अपने परिवारीजनों के नाम अवैध सम्पत्ति कीमत करीब "6,00000.00 /- (छःलाख रुपये)" को थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दिनाँक 08.07.2024 को कुर्क किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रविन्द्रनाथ राय के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 469/2017 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम **1. फिरोज उर्फ अन्ना (गैंग लीडर) 2. संजय उर्फ सलमान पुत्रगण नौशाद निवासीगण ग्राम नगला दाउद सरैया थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़** द्वारा अवैध रुप से अर्जित स्वयं व स्वयं के परिजनो के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्ति कीमत करीब 6,00000.00 /- (छःलाख रुपये) श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के आदेश/वाद सं0 20/2024 दिनांकित 21.06.24 के द्वारा अभियुक्त फिरोज उर्फ अन्ना व उसके गैंग के सदस्य व परिवारीजन के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्तियों को गैंगस्टर की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया था, आदेश के अनुपालन में प्रशासन द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट **श्रद्धा पाण्डेय तहसीलदार सदर एवं क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रवीन्द्र नाथ राय** के नेतृत्व में **थानाध्यक्ष अमृतपुर मीनेश पचौरी व थानाध्यक्ष कमालगंज राजेश राय मय** हमराह फोर्स आज दिनाँक 08.07.2024 को कुर्क किया गया।

सम्पत्ति का विवरण:-

क्रम सं0	सम्पत्ति का विवरण	नाम पंजीकृत स्वामी	मूल्यांकन सरकारी मूल्य	मूल्यांकन बाजार मूल्य
1.	ग्राम देवरान गढिया थाना कमालगंज में अपराध से अर्जित धन से क्रय की गयी भूमि गाटा सं0 180 रकवा/क्षेत्र0 0.28 एकड अर्थात 0.1134 हे0	सलमान खाँ पुत्र नौशाद खाँ निवासी नगला दाउद सरैया थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद	2,38,140 /- रुपये	6,00,000 /- रुपये
कुल कीमत	**सर्किल रेट पर मूल्यांकन के आधार पर**		2,38,140 /- रुपये **(दो लाख अड़तीस हजार एक सौ चालीस रुपये)**	
	वर्तमान रेट पर मूल्यांकन के आधार पर		**6,00000 /- रुपये (छः लाख रुपये)**	

उपरोक्त प्रकरण में जब्तीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत अभियुक्त संजय उर्फ सलमान द्वारा अपराध से अर्जित धन से क्रय किये गये वाहनों को जिनकी कीमत 8,65,697 /- (आठ लाख पैसठ हजार छः सौ सत्तान्वे रुपये) है, **को दिनांक 05.05.2023 अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा चुका है** तथा दिनांक 28.11.2023 को अभियुक्त फिरोज उर्फ अन्ना निवासी ग्राम नगला दाउद सरैया थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ व अपने गैंग के सदस्य संजय उर्फ सलमान पुत्रगण नौशाद निवासी ग्राम नगला दाउद सरैया थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ व परिवारीजन नाजिम उर्फ फिरदौस पुत्र नौशाद अली निवासी नगला दाउद सरैया थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ की अवैध सम्पत्ति जिसकी वर्तमान कीमत करीब **10043600.00 /- (एक करोड़ तैतालिस हजार छः सौ रुपये)** है, को थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा कुर्क की जा चुकी है। आज दिनांक 08.07.24 को अभियुक्त फिरोज उर्फ अन्ना निवासी ग्राम नगला दाउद सरैया थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने भाई संजय उर्फ सलमान के नाम क्रय किये गये खेत जिसकी वर्तमान कीमत **6,00000 /- रुपये (छः लाख रुपये) को थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा कुर्की की कार्यवाही की गयी ।**

कुर्की की कार्यवाही में लगा फोर्सः

थाना अमृतपुर से लगा पुलिस बल:-

1.उ0नि0 मीनेश पचौरी थानाध्यक्ष अमृतपुर मय हमराह पुलिस बल ।

थाना कमालगंज से लगा पुलिस बल:-

1.उ0नि0 राजेश राय थानाध्यक्ष कमालगंज मय हमराह पुलिस बल ।

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- IGRS रैंकिंग

दिनांक :- 08.07.2024

माह जून- 2024 में समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) पोर्टल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की रैंकिग में जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आलोक प्रियदर्शी द्वारा IGRS सेल को सम्मानित किया गया।
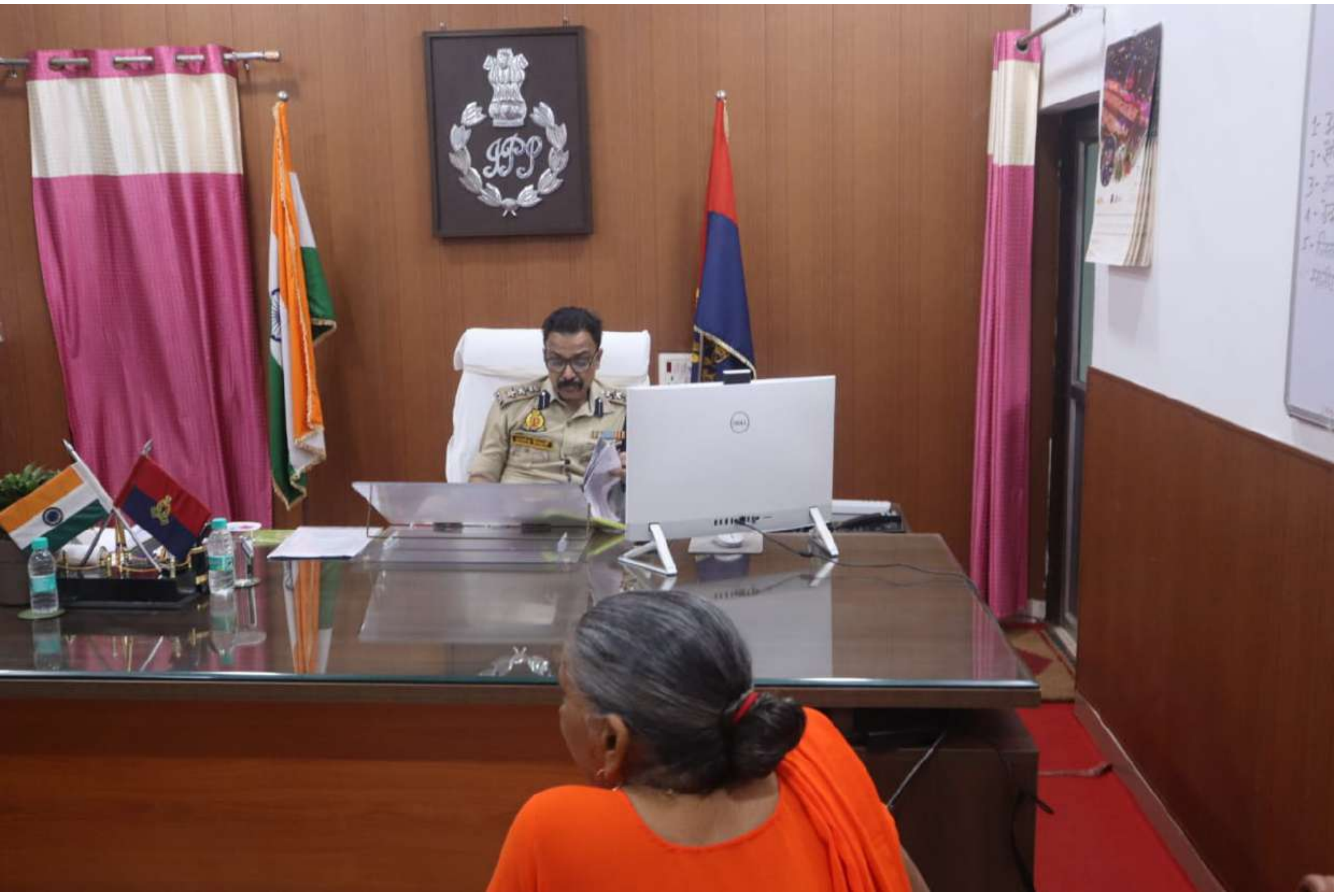
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही "समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली"(IGRS) के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों मे प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक व समस्त क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में जनपद के सभी थानों द्वारा आईजीआरएस प्रणाली के माध्यम से विगत माह जून में प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों का त्वरित गुणवत्तापरक निस्तारण कराया गया है। जिसके परिणामस्वरुप विगत माह जून-2024 में पूरे प्रदेश में जनपद फतेहगढ़ द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद के 11 थानो द्वारा भी पूरे प्रदेश मे प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। जिसके सम्बन्ध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आलोक प्रियदर्शी द्वारा IGRS सेल में नियुक्त कर्मचारियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया गया।